दैनिक भास्कर

पटना, शुक्रवार, 27 जुलाई, 2018 | 3

रेरा ने निबंधित परियोजनाओं की मांगी रिपोर्ट, 10 अगस्त तक करनी होगी जमा

पटना | रेरा (रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) ने निबंधित बिल्डरों को अपनी परियोजनाओं की दो तिमाही की भौतिक और वित्तीय रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। गुरुवार को रेरा अध्यक्ष अफजल अमानुल्लाह ने बताया कि बिल्डरों से 31 मार्च और 30 जून को समाप्त हुई तिमाही की रिपोर्ट 10 अगस्त तक जमा करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सभी बिल्डरों और प्रमोटरों को साइट पर होर्डिंग लगाने का आदेश दिया है। इसमें प्रोजेक्ट का नाम, बिल्डर प्रमोटर का नाम, रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, रेरा का वेबसाइट, एजेंट का नाम और टेलीफोन नंबर, काम शुरू होने की तारीख ओर समाप्त होने की तारीख शामिल है। ये होर्डिंग साइट के अलावा कारपोरेट ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस, तथा सेल्स ऑफिस पर भी लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि रेरा ने यह आदेश उपभोक्ताओं, बिल्डरों और प्रमोटरों की सुविधा को देखते हुए दिया है। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट साइट पर जरूरी जानकारी नहीं मिलने की शिकायतों के बाद रेरा ने यह आदेश दिया है।